

13/05/2026

—प्रकरण प्रस्तुत।

—प्रकरण का अवलोकन किया।

—आवेदक लीलागर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह, निवासी— ग्राम रजगामार, तहसील—भैसमा, जिला कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम—रजगामार, प.ह.नं.—02, तहसील— भैसमा, जिला—कोरबा, में ख.नं. 699/5 रकबा 0.263 हे. भूमि स्थित है। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि पर 200 नग सागौन वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से 100 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु श्री विजय साहू अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

—कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला—कोरबा छ.ग. के पत्र कमाक/के.बी./955 कोरबा, दिनांक 07/05/2026 के अनुसार संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ख.नं. 699/5 रकबा 0.263 हे. भूमि में 200 नग सागौन वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल— 100 नग सागौन वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप—घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप—धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

—छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:—


(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला—कोरबा (छ.ग.)

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर- नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

- आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

- उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।

- कुल 100 नग सागौन वृक्ष की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रुपये 150/- प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसा करती है, कि भू-स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 100 नग सागौन वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

-संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।


अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुवेभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, छ0ग0
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

1490
135126

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

लीलागर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह
निवासी- रजगामार, प.ह.नं.-
तहसील- भैसमा, जिला.-कोरबा,

विषय:- 100 नग रोपित सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत।

---00---

आवेदक लीलागर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह, निवासी- ग्राम रजगामार, तहसील-भैसमा, जिला कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम-रजगामार, प.ह.नं.-02, तहसील- भैसमा, जिला-कोरबा, में ख.नं. 699/5 रकबा 0.263 हे. भूमि स्थित है। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि पर 200 नग सागौन वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से 100 नग वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु श्री विजय साहू अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग.के पत्र क्रमांक/के.बी./955 कोरबा, दिनांक 07/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ख.नं. 699/5 रकबा 0.263 हे. भूमि में 200 नग सागौन वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल- 100 नग सागौन वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप-घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।

कुल 100 नग सागौन वृक्ष की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/- प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय

//2//

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

//2//

समिति यह अनुशंसा करती है, कि भू-स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल- 100 नग सागौन वृक्ष को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ.क. 1131 / अ.वि.अ. / वाचक / 2026
प्रतिलिपि:-

कोरबा, दिनांक 13/05/2026

1. कलेक्टर जिला-कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार -भैसमा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)